झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–183 / 2019

बिजेंद्र सिंह .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ द्वारा महानिदेशक, सी0आई0एस0एफ
2. पुलिस महानिरीक्षक, सी0आई0एस0एफ
3. पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण सेक्टर), सी0आई0एस0एफ
4. पुलिस उप–महानिरीक्षक, सी0आई0एस0एफ
4. वरिष्ठ कमांडेंट, सी0आई0एस0एफ0 .....उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए : मो0 अशरूफज्जमान खान, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए :

03 / 24.01.2020

इस आवेदन को दायर करके याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1897 / 2016 की पुनःस्थापन हेतु प्रार्थना करता है। उन्होनें कहा कि पृष्ठ संख्या 37 और 38 की दूसरी प्रति के स्थान पर टाइप की गई प्रति दायर की गई थी, जिसके वजह से दिनांक 4.2.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए रिट आवेदन खारिज कर दिया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता ने पहले ही टाइप की गई प्रति दायर की है, मैं डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1897 / 2016 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए इच्छुक हूँ।

तद्नुसार, सिविल विविधि याचिका की अनुमति है।

कार्यालय को याचिका की टाइप की गई प्रति स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)